Sujata Chaturvedi, I.A.S
Principal Secretary
Transport Department
Government of Bihar, Patna

सुजाता चतुर्वेदी, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव
परिवहन विभाग
बिहार, पटना।

परिवहन विभाग
विश्वेश्वरैया भवन
बेली रोड, पटना-800 015
Tel :0612-2546449
Fax :0612-2545175
E-mail :transecy-bih@nic.in

D.O. Lett No- 2032

प्रिय महाशय,

पटना, दिनांक–29/4/16

विषय : **जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत करने के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषयक परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–5576 दिनांक–11.07.1996 का संदर्भ करें जिसके द्वारा राज्य के सभी जिलों में "जिला सड़क सुरक्षा समिति" गठित है जिसके पदेन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी स्वयं है। विदित हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा समिति पर गठित कमेटी द्वारा सड़क सुरक्षा विषयों पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है और यह कमिटी किए गए कार्यो से माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराती है।

उपर्युक्त के आलोक में अधिसूचना की प्रति पुनः संलग्न करते हुए अनुरोध है कि जिला स्तर पर गठित सुरक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आहूत करना सुनिश्चित किया जाय और बैठक की कार्यवाही अपने मंतव्य के साथ विभाग को भी प्रेषित की जाय।

धन्यवाद।

अनु0:–यथोक्त।

भवदीय

28/4/16

(सुजाता चतुर्वेदी)

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग।

राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद एवं जिलास्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन

important
may like to see
Tarun ... 27/7/96

॥ अधिसूचना ॥

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जाँच और उसके रोक थाम के लिये बनाये गये पूर्णकालीक एवं अंशकालीन योजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभावोकारी ढंग से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा उपायों के सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु परामर्श दिया है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य स्तर पर परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद एवं जिला स्तर पर एक सड़क सुरक्षा समिति का गठन करें।

इस लिये बिहार सरकार भी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 215 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य सड़क सुरक्षा परिषद तथा उप धारा (3) के अन्तर्गत जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन निम्नलिखित रुप में करती है :-

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद

1-मंत्री, परिवहन विभाग	अध्यक्ष
2-सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य
3-सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
4-सचिव, गृह विभाग	सदस्य
5-आरक्षी महानिदेशक	सदस्य
6-सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
7-राज्य परिवहन आयुक्त	सदस्य-सचिव
8-उपाध्यक्ष, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार	सदस्य
9-प्रशासक, पटना नगर निगम	सदस्य
10-प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य
11-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	सदस्य
12-अध्यक्ष, ऑटोमोबाईल्स एसोसियेशन ऑफ इर्स्टन इण्डिया	सदस्य
13-अध्यक्ष, ट्रक ओनर्स एसोसियेशन, बिहार पटना	सदस्य
14-अध्यक्ष, बस ओनर्स एसोसियेशन	सदस्य
15-अध्यक्ष, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, बिहार पटना	सदस्य

(क्र०पृ०उ०)

Copies may be kept in files. Tarun